न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 01.08.2018
G.C.M.S. NO. :-2018/00145

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
–प्रार्थी

बनाम

श्री लक्षमण पिता गंगाराम जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी निकुम्भ, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
2– श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा निकुम्भ, तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा भूमि जो सम्वत् 2026 की जमाबन्दी में तलाई दर्ज थी। उक्त आराजी के पुराने नम्बर 1096 रकबा 3.10 बीघा किस्म काली 3 चरनोई के नाम से ग्वालियर स्टेट में दर्ज थी। आराजी नम्बर 1096 जो ग्वालियर स्टेट मे

प्रकरण संख्या 01/2018 (रेफरेंस)
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम श्री लक्षमण पिता गंगाराम खटीक निवासी निकुम्भ, तहसील बडीसादडी

चरनोई जिसके नवीन नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा किस्म तलाई होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। आराजी नम्बर 1078/34 इस भूमि के पुनः नवीन आराजी नम्बर 3960 बने तथा आराजी नम्बर 3960 में से रकबा 0.04 है. जो विपक्षी के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 के निर्देशानुसार उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः ग्राम निकुम्भ की आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.04 है. को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म तलाई बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र पालीवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। अधिवक्ता विपक्षी ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किऐ जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम निकुम्भ की ग्वालियर स्टेट की आराजी

नम्बर 1096 रकबा 3.10 बीघा किस्म काली 3 चरनाई के नाम से दर्ज थी। जिसके नवीन आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा भूमि किस्म तलाई बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म तलाई होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खाातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1078/34 किस्म तलाई दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा से नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 3960 रकबा 0.04 हैक्टेयर नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 18.08.1968 से बिलानाम अंकित होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम नाजायज कब्जे से खातेदारी में अंकन है जो विधि-विपरीत होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराये जाने योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा भूमि में विपक्षी का पुराना नाजायज कब्जा होने से उसे कब्जे के आधार पर आवंटन होकर वर्तमान में उसके खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि का विपक्षी वर्षो से लगान अदा करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त

भूमि पर काश्त भी कर रहा है। विपक्षी के द्वारा नाले अथवा तलाई पर कोई कब्जा नहीं किया है। यह कृषि योग्य भूमि है जो अलोटमेंट की परिभाषा में आने से नियमानुसार उसे अलोट हुई है जिस पर करीब 50 वर्षों से कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन कर रहा है। उक्त भूमि विपक्षी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है जिससे रेफरेन्स लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा किस्म तलाई भूमि में से रकबा 6 बिस्वा भूमि नाजायज कब्जे के आधार पर जरिये मिसल नम्बर 194/65 दिनांक 31.08.1965 से श्री गंगाराम पिता उंकार खटीक निवासी निकुम्भ को आवंटन हुई जो कि नामान्तरण संख्या 686 दिनांक 18.08.1968 से विपक्षी के पिता के नाम दर्ज हुई है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम निकुम्भ, तहसील बडीसादडी की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1078/34 किस्म तलाई होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। मिलान क्षेत्रफल अनुसार इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3960 बने हैं तथा आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.04 है. जो विपक्षी के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। अतः ग्राम निकुम्भ, तहसील बडीसादडी की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1078/34 रकबा 3.10 बीघा किस्म तलाई जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 3960 बने तथा आराजी नम्बर 3960 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 होकर विपक्षी के नाम दर्ज होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 एवं डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु आवंटन आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 686 दिनांक 18.08.68 को निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)